13/11/2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि मौजा ग्राम धोरीमन्ना, पटवार हल्का धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 422/5 रकबा	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	54/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कैलाश बनाम गंगाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/2019	23.13 बीघा में वादी की पैतृक आराजी है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उसका जन्म से हक उत्पन्न हो जाता है पैतृक हिस्से मे अधिक बैनामा को शून्य घोषित करने का अधिकारी है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई उचित सुनवाई के अवसर दिये ही वादी साक्ष्य में डाल दी और वादी साक्ष्य करवाये बिना ही पहले पत्रावली जवाब में विचाराधीन होने के प्रतिवादीगण के साक्ष्य ले लिये गये तथा वादी को जिरह तक का अवसर नहीं दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पा. ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील संख्या - 54/2019
उनवान - कैसाराम बनाम गंगाराम वो...

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा जो वाद पेश किया गया को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। वादी/अपीलांट के हक उनके पिता की पैतृक संपत्ति में सृजित होते है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 को अपने हक की आराजी बेचान का अधिकार है। अपीलांट प्रकरण को लंबा करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट न्यायालय में साफ हाथों एवं सद्भाविक रूप से नहीं आया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2018 उनवान कैसा बनाम गंगा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2019 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि मामले को लंबा कर न्याय में विलम्ब नहीं हो इसलिए अंतिम डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए 30 दिवस में पारित करे पत्रावली [illegible] नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर [illegible]

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

13/11/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner